

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 620/15

संस्थापन दिनांक :- 05/10/15

फाईलिंग नं. 233504002192015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

शिवराज पिता सुन्दर गिरी,
उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम रतेड़ा,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 19.12.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 20.09.2015 को 03:35 बजे या उसके लगभग खारी रोड रतेड़ा आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 20½ सेमी. चौड़ाई 3 इंच आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09.2015 को सहायक उप निरीक्षक एस.एस. पटेल को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि खारी रोड चौराह पर हाथ में लोहे की तलवार हवा में लहरा रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है, जिस पर वह हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां उसने घेराबंदी का अभियुक्त को मय तलवार के पकड़ा और अभियुक्त से तलवार रखने का लायसेंस पूछने पर न होना बताने पर अभियुक्त से तलवार जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 509/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2015 को 03:35 बजे या उसके लगभग खारी रोड रतेड़ा आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 20½ सेमी. चौड़ाई 3 इंच आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 20.09.2015 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए वह मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर हमराह स्टाफ एवं रहागीर साक्षी के साथ खारी रोड रतेड़ा कला पर पहुंचा जहां उसे अभियुक्त हाथ में तलवार लेकर लोगों को डराते धमकाते मिला जिस पर उसने अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त कर (प्रदर्श प्री-1) का जप्ती पत्रक तैयार किया तथा अभियुक्त द्वारा तलवार रखने के संबंध में संतोषजनक जवाब न देने पर उसने अभियुक्त को थाना लाकर गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-2) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। इस साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने थाना वापस आकर अपराध क्र. 509/15 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) लेख की थी। साक्षी ने आर्टिकल-ए की तलवार को वही तलवार होना बताया है जो उसने अभियुक्त से मौके पर जप्त की थी।

6 युसूफ (अ.सा.-1) एवं छप्पू (अ.सा.-3) ने अपने समक्ष अभियुक्त से पुलिस द्वारा जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इंकार किया है परंतु साक्षी छप्पू (अ.सा.-3) ने जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर उसके हस्ताक्षर होना बताया है। अभियोजन द्वारा उक्त दोनों ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य उनके कथन से प्रकट नहीं हुए हैं।

7 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी युसूफ (अ.सा.-1) एवं छप्पू (अ.सा.-3) ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर मात्र एस.एस. पटेल (अ.सा.-2)

की साक्ष्य उपलब्ध है। **न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ऐ. आई.आर.1973 एससी 2783** के अनुसार पंच साक्षीगण की पुष्टि के आभाव में भी एक मात्र जप्ती कर्ता की साक्ष्य विश्वास किये जाने योग्य हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

8 एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) ने सूचना प्राप्त होने के उपरांत रहागीर साक्षी छप्पू खान एवं युसूफ खान के साथ मौके पर पहुंचकर अभियुक्त से तलवार जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया जाना एवं उसे गिरफ्तार करने के उपरांत थाना वापस आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके द्वारा अभियुक्त के कब्जे से लोहे की धारदार तलवार जप्त नहीं की गयी थी। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) के अवलोकन से अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती 15:35 बजे किया जाना एवं गिरफ्तारी 15:45 बजे किया जाना प्रकट हो रहा है। मात्र 10 मिनट में जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाना असंभव नहीं है परंतु अस्वाभाविक अवश्य प्रतीत होता है। विवेचक साक्षी एस.एस. पटेल (अ.सा.-2) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती उपरांत उसकी नाप-जोप किये जाने के उपरांत आयुध को गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया हो। जप्ती के साक्षी छप्पू (अ.सा.-3) एवं युसूफ (अ.सा.-1) ने अपने समक्ष अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती से इनकार किया है तथा साक्षी युसूफ ने जप्ती पत्रक पर अपने हस्ताक्षरों से भी इनकार किया है। अतः उपर्युक्त स्थिति में एकमात्र विवेचक साक्षी के कथनों पर विश्वास कर अभियुक्त से कथित आयुध की जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती।

9 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 20.09.2015 को 03:35 बजे या उसके लगभग खारी रोड रतेड़ा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान पर बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की तलवार जिसकी कुल लंबाई 20½ सेमी. चौड़ाई 3 इंच आधिपत्य में अवैध रूप से रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया। अतः अभियुक्त शिवराज को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

10 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे की धारदार तलवार अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

11 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)